



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
वित्त व लेखा विभाग

भाविप्रा/ नि.मु/ पूर्व जांच – विविध/

दिनांक : 30 जून, 2014

परिपत्र

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूर्व कार्मिकों को भुगतान करने के दौरान अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित किया गया कि कुछ पूर्व कार्मिकों ने अपने पैन नं. लेखा अनुभाग में जमा नहीं किया है, जो कि अनिवार्य है। इसलिए, सभी पूर्व कार्मिकों को लेखा अनुभाग में अपने पैन नंबर की प्रति जमा करने की सलाह दी जाती है अन्यथा उनके हितकारी निधि व चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान को रोक दिया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है।

--हस्ता ० --

दाता राम,
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

प्रतिलिपि : महाप्रबंधक (आईटी) – वेबसाइट में अपलोड करने हेतु.